

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला  
हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० -66/2025

1. भवानीशंकर | पि०सुगनाराम जाति नाई निवासी तलवाड़ा हाल पुरानी गजनेर रोड़,  
2. ओमप्रकाश | हैड पोस्ट आफिस के पास बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम्

वादीगण

1. शिवकुमार पुत्र सुगनाराम जाति नाई निवासी तलवाड़ा हाल वार्ड नं० 51 बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर ।
2. दुर्गा देवी पुत्री सुगनाराम पत्नी देवीलाल जाति नाई निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. शारदा देवी मारु पुत्री सुन्दरदेवी पत्नी भागीरथ मारु जाति नाई निवासी ओल्ड लाईन गंगाशहर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
4. नीलम पुत्री सुन्दर देवी पत्नी विनोद कुमार राजलीवाल जाति नाई निवासी बेगू रोड़ सिरसा तहसील व जिला सिरसा ।
5. संतकुमार मारु पुत्र गोविन्दराम नाई जाति नाई निवासी सांशी का बास देशनोक जिला बीकानेर।
6. जुगल किशोर भाटी पुत्र गोविन्दराम जाति नाई निवासी सांशी का बास देशनोक, जिला बीकानेर
7. मनोज कुमार पुत्र सत्यनारायण तंवर जाति नाई निवासी लालबती सर्किल हाथीगंज, देशकरोई तहसील हाथीगंज जिला अहमदाबाद गुजरात ।
8. सुमन पुत्र सरस्वती देवी पत्नी राजकुमार राजलीवाला जाति नाई निवासी कंगलपुर रोड़ सिरसा तहसील सिरसा जिला हनुमानगढ़ ।
9. दिलीप कुमार तंवर पुत्र सत्यनारायण तंवर जाति नाई सी - 21 जयपुर रोड़ अमर कॉलोनी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
10. विशाल वर्मा पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी सर्वोदय बस्ती, पूगल रोड़, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।
11. अशोक वर्मा पुत्र ओमप्रकाश जाति नाई निवासी सर्वोदय बस्ती, पूगल रोड़, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर ।

प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर टिब्बी

यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के

कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 1 बी.आर डबल्यू के खाता सं० 172/3 में कुल 5.313 है० में से अणचीदेवी पत्नी सुगनाराम के 1/4 हिस्सा की आराजी के वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक नं० 1 बी. आर डबल्यू के खाता सं० 172/3 में से अणची देवी का नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पदेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी।